

Sl No. 196

आर.टी.आई. नाम/संभव

सं. ए-43020/01/2013-आर.टी.आई.

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

दिनांक : 23/10/2013

कार्यालय जाफ

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुभ्री... शहबाज अहमद का आवेदन।

अधीनस्थतापरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना नहीं प्राप्त करने के संबंध में श्री/श्रीमती/शुभ्री शहबाज अहमद के दिनांक: 1/10/2013 के आवेदन (इत-मंत्रालय सं. से अंतरण द्वारा दिनांक: 8/10/2013 को प्राप्त) को आई-एच-एन द्वारा अयेंपित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रश्न के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रम से संबंध रखती है। यह अनुबंध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अयेंपित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक: 9/10/2013 की रसीद सं. 27106 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एन कंपनी से संबंध रखता/रखती है।

Handwritten notes:
धूमि नोट
कॉपी के अग्रिम
नोट
शहबाज अहमद
28/10

शु. शहबाज
(सच. सानत)

जवर सचिव, भारत सरकार

निदेशक (आई-एच-एन)
गृह मंत्रालय,
माध्यम लोक, नई दिल्ली

Noted

RTI-196/Dir (ISZ)/13
28/10/13

Handwritten signature
29/10/13

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :
श्री/श्रीमती/शुभ्री शहबाज अहमद
पुत्र श्री सुप्रताज अहमद
केन्द्रीय कारागार - जयपुर
व्हाटगट, जयपुर (राज.)

(उनसे अनुबंध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)



गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs

जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i))

रसीद / RECEIPT

सं. /No. 27106

दिनांक 20
Dated 20/11/2013

श्री/श्रीमती/सुश्री

Received From Shri/Smt./K.m.

के पत्र संख्या/संदर्भ संख्या के साथ

के दिनांक 20

with Letter No./Reference No.

Dated 20

बैंकर्स चेक/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या

Banker's Cheque/Draft/Indian Postal Order No.

के रूप में रुपये की तकर धनराशि

the sum of Rupees by Cash

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।

an account of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यकर /Initials

रुपये /Rs. _____

पदनाम / Designation

संघीय सरकार
Government of Rajasthan



सर्वोपर्यन्त अधिकारी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर (राज.)

Office of the Superintendent, Central Jail, Jaipur, Esj.



क्रमांक: कारा. प्रसा. वि. १३४/१३४-१९६९

दिनांक: ०२-१०-७३

मुख्य जनसूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-०१

विषय:—उसी का प्रमाण-पत्र अर्पित करने पड़ता।

महोदय,

इस कारागृह के दिव्यार्थी वंश शहबाज अहमद पुत्र मुनताज अहमद ने श्रीजीन को संबोधित करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जो मूल ही इस पत्र के संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(प्रमोद शर्मा)
उप-अधीक्षक

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर

वेवा नं.

मुख्य जन सूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक - नई दिल्ली - 01

RECEIVED
19 OCT 2013
12:09/SL

द्वारा - श्रीमान् जेल अफ्फीशर, केन्द्रीय कारागृह जयपुर, राज्.।
विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा
6(1) के तहत निम्न सूचना प्राप्त करने बाबत।

- 1- पब्लिक रिकार्ड एक्ट - 1997 की धारा - 4 की फोटो प्रतिलिपि।
- 2- सन् 2004 में गृह मंत्रालय द्वारा " मंत्रालयों / विभागों को भेजे गये मेमोरण्डम की सत्यप्रतिलिपि जिसमें उन्हें इस बाबत निर्देशित किया गया था कि " मंत्रालयों / विभागों को अपने वेबसाइट प्राइवेट / विदेशी सर्वर जो भारत में स्थित न हों, पर होस्ट नहीं करना चाहिये।" साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि " मंत्रालयों / विभागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपने ईमेल / वेबसाइट केवल NIC या ERNET या कोई अन्य सर्वर जो भारत सरकार से संबद्ध हो या राज्य सरकार से संबद्ध हो, पर ही होस्ट करें।"


अनुप्राप्त

अक्त सूचना आपडे विभाग से संबंधित न हो तो उचित विभाग को स्थानान्तरित करें।

प्रेषक - शाहबाज अहमद कारापाल
पुत्र श्री भुमताज अहमद कारागृह, जयपुर
केन्द्रीय कारागार - जयपुर (शाहबाज अहमद)
बहाल - जयपुर - राज्.।

पोस्टल आर्डर डेमांड - 19 F 566981

सेवा में



मुख्य जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
मार्ग बलाक - नई दिल्ली - ०।

द्वारा - श्रीमान् जेल अफ्फ़ीअड, केन्द्रीय कारागृह जयपुर, राज.।

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 की धारा 6(1) के तहत मिम्न सूचना प्राप्त करने बाकत ।

1- पब्लिक रिकार्ड एक्ट - 1997 की धारा - 4 की फोटो प्रतिलिपि ।

2- सन् 2004 में गृह मंत्रालय द्वारा " मंत्रालयों / विभागों" को भेजे गये मेमोरण्डम की सत्यप्रतिलिपि जिसमें उन्हें इस बाकत निर्देशित किया गया था कि " मंत्रालयों / विभागों" को अपने वेबसाइट प्राइवेट / विदेशी सर्वर जो भारत में स्थित न हों, पर होस्ट नहीं करना चाहिये ।" साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि " मंत्रालयों / विभागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह अपने ईमेल / वेबसाइट केवल NIC या ERNET या कोई अन्य सर्वर जो भारत सरकार से संबद्ध हो या राज्य सरकार से संबद्ध हो, पर ही होस्ट करें ।"

अक्त सूचना आपके विभाग से संबंधित न हो तो उचित विभाग को श्यानांतरित करें।

प्रेषक - शाहबाज अहमद कारावाक
पुत्र श्री मुमताज अहमद कारागृह, जयपुर
केन्द्रीय कारागार - जयपुर (शाहबाज अहमद)
घाटगोट - जयपुर - राज.।

पोस्टल आर्डर डेमांड - 19F 566981

दिनांक - 1-10-2013

Reply of Sl No. 196

RTI Matter
By Speed Post

No. II.20034/35/2013-IS.II/M
Government of India
Ministry of Home Affairs
(IS.I Division/IS.II Desk)

North Block, New Delhi,
Dated: 22 Nov, 2013

To

Shri Sahbaz Ahmed,
S/o Shri Mumtaz Ahmed,
Central Jail, Jaipur, Ghatgate, Jaipur.

Subject: Application of Sahbaz Ahmed seeking information under Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 08.10.2013, received in the office of undersigned on 28.10.2013 vide MHA OM No 43020/2013-RTI dated 23.10.2013 on the above mentioned subject.

2. In respect of information sought under para 1 of the RTI application, application has already been transferred to Ministry of Culture vide this office OM of even number dated 07.11.2013.

3. As per the information requested under para 2 is concerned, it is intimated that the said circular issued by Ministry of Home Affairs in 2004 regarding hosting of Government Websites on Indian Server is not forthcoming in the records. However your application is being transferred to IT Section, MHA and Department of Electronics and Information Technology for providing the guidelines on the issue.

4. It is informed that in case you are not satisfied with the reply, you can prefer an appeal within 30 days from the receipt of this communication to Shri Rakesh Singh, Joint Secretary (Internal Security-I), Room No 197-B, North Block, Ministry of Home Affairs, New Delhi, who is the Appellate Authority in this case.


(Rakesh Mittal)

Director (Internal Security-I) & CPIO
TELE : 23092132

To

1. Central Public Information Officer, Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road-110003 for providing the guidelines on the subject as requested in para 2 of the enclosed application. Application fee of Rs. 10/- has been received in Ministry of Home Affairs, New Delhi.
2. Consultant (Coordination), MHA, North Block, New Delhi for providing the guidelines on the subject as requested in para 2 of the enclosed application, if available in their records.